

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा० प्र० से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर, औरंगाबाद एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक-

विषय:- विमुक्त किशोर श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के न्यासी पर्सद द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में किये गये संशोधन के आलोक में खतरनाक नियोजनों से विमुक्त वैसे किशोर जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु उनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और जिनका विवरण CLTS में दर्ज हो, को भी बाल श्रमिकों की तरह मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये मात्र की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त किशोर श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि किशोर श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	किशोर श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि
1	मुंगेर	BIH_MUNGE_2025_110859	नेहा कुमारी	28.01.2025
2	औरंगाबाद	BIH_AURAN_2022_108341	कुंदन कुमार	25.11.2022
3		BIH_AURAN_2022_108393	नीतीश कुमार	25.11.2022
4		BIH_AURAN_2022_108401	नसीम शाह	25.11.2022
5		BIH_AURAN_2023_109879	मुन्ना साह	11.09.2023
6	नालन्दा	107583	विकास कुमार	18.05.2022
7		107584	धनराज्य कुमार उर्फ गौरव कुमार	18.05.2022
8		108795	मो० हरीस	28.01.2023
9		108796	उमर फारुख	28.01.2023
10		107806	मुकेश कुमार	09.06.2022
11		108068	आदित्या कुमार	07.06.2022
12		108716	धमेन्द्र कुमार	24.04.2023

13		108713	मो० शेरू जुबेर	30.05.2023
14		108786	मो० आदिल ईकबाल	27.06.2023
15		109315	मो० आलिशान	24.11.2023
16		109360	गौरव कुमार	05.12.2023
17		109733	मो० अकीब	21.02.2024
18		100721	श्रवण कुमार	27.08.2024
19		110723	कार्तिक कुमार	27.08.2024

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त किशोर श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री रात कोष से @25,000/- प्रति किशोर श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	किशोर श्रमिकों की संख्या	किशोर श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अध्याचना का विवरण।
मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	36610753 057	SBIN000 0136	01	01@25000	25,000	पत्रांक-549/ दिनांक-27.03.2025
औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	36431454 017	SBIN000 0013	04	04@25000	1,00,000	पत्रांक-467/ दिनांक-24.04.25
नालन्दा	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	36328745 027	SBIN000 0042	14	14@25000	3,50,000	पत्रांक-588/ दिनांक-17.04.25
कुल				19	19@25000	4,75,000/- (चार लाख पचहतर हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अध्याचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र किशोर श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त किशोर श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-14/2025, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, मुंगेर, औरंगाबाद एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त किशोर श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-14/2025, श्र०सं०.....2202

पटना, दिनांक 29/04/2025

प्रतिलिपि:-आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4 28/4/25
श्रमायुक्त, बिहार